कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग,
"प्रकीर्ण वर्ग" देहरादून।

Office of the Engineer in Chief, PWD Dehradun Uttarakhand

Website-http://pwd.uk.gov.in Email:-rcpwduk@gmail.com

पत्रांकः– 116/195-II सा०प्र०/21 दिनांकः– 05 /02/2021

"कार्यालय ज्ञाप"

विभिन्न निजी Material Testing Laboratories द्वारा प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष कार्यालय लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड में किये गये आवेदनों के परीक्षण के उपरान्त इस कार्यालय के ज्ञाप संख्या–1029/195 सा0प्र0/2020 दिनांक–07.11.2020 एवं 1122/195–।। सा0प्रा0/2020 दिनांक–18.12.2020 द्वारा NABL से मान्यता प्राप्त 13 Testing Laboratories को लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड में गतिमान कार्यों के Third Party Testing हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया है। अनुमोदन की प्रक्रिया को सुनियोजित करने के उद्देश्य से इस कार्यालय के ज्ञाप संख्या–1127/195–।। सा0प्रा0/2020 दिनांक–19.12.2020 द्वारा आदेश पारित किए गये थे कि निजी प्रयोगशालाओं के अनुमोदन हेतु प्राप्त आवेदनों का मूल्यांकन प्रत्येक माह जून में पूर्ण किया जाएगा एवं मूल्यांकन के उपरान्त अनुमोदित प्रयोगशालाओं की सूची 1 जुलाई को प्राख्यापित कर दी जाएगी।

वर्तमान में लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड में Special Assistance Scheme (SAS) कार्यों के अन्तर्गत खण्डों में कार्यरत अभियन्ताओं द्वारा एवं उत्तराखण्ड शासन द्वारा गठित टीमों द्वारा सामग्री परीक्षण के कार्य किए जा रहे हैं। संज्ञान में आया है कि कार्य की अधिकता के कारण परीक्षण हेतु अनुमोदन प्राप्त 13 Testing Laboratories पर्याप्त नहीं है। अतः प्रमुख अभियन्ता महोदय, लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड द्वारा दिए गए निर्देशों के कम में निर्देशित किया जाता है कि NABL से मान्यता प्राप्त Testing Laboratories से 15 फरवरी, 2021 तक प्राप्त आवेदनों का मूल्यांकन तुरन्त कर लिया जाए जिससे SAS के अन्तर्गत गतिमान कार्यों एवं अन्य कार्यों के गुणवत्ता नियंत्रण से संबंधित कार्यों को समयान्तर्गत पूर्ण किया जा सके।

उपरोक्त अवधि (15 फरवरी, 2021) के उपरान्त प्राप्त समस्त आवेदनों पर दिनांक 19.12.2020 के कार्यालय ज्ञाप की भाँति माह मई एवं जून में ही विचार किया जाएगा। तदोपरान्त अनुमोदित प्रयोगशालाओं की सूची 1 जुलाई को प्राख्यापित कर दी जाएगी।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू माने जायेगें।

5-2-21

(इं0 गोकर्ण सिंह पांगती)
मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1–प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।
2–समस्त मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय/रा0मा0 लो0नि0वि0 देहरादून/ पौड़ी/ हल्द्वानी/अल्मोड़ा ।
3–वरिष्ठ स्टाफ आफिसर ।/।।/।।।, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0 देहरादून।
4–अधिशासी अभियन्ता, अन्वेषण सैल, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड।
5–अधिशासी अभियन्ता (आई0टी0), विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0 देहरादून को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इस कार्यालय ज्ञाप को विभागीय वेबसाइट में अपलोड करना सुनिश्चित करें।

मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)